न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/174

जमना लाल आत्मज श्री पन्ना जी जाति लश्करी चमार निवासी आमा की झोंपडियॉ अमलसरा पलायथा तहसील अन्ता जिला बारां ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. फून्दीलाल आत्मज श्री शंकर लाल जी जाति माली निवासी अर्जुनपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. विरधी लाल आत्मज श्री शंकर लाल जी जाति माली निवासी अर्जुनपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. गोपाल मृतक जरिये कायममुकामान :–
   3/1. रतन लाल
   3/2. शांतिलाल
   3/3. सीताराम
   3/4. मोहन बाई
   3/5. काली बाई
   3/6. दाखां बाई पिसरान गोपाल जी निवासीगण अर्जुनपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री सईद अहमद, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 30.11.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.03.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रंगतलाब उर्फ काला तलाब तहसील लाडपुरा में खसरा नम्बर 171 की 12 बीघा 05 बिस्वा तथा

खसरा नम्बर 180 की रकबा 23 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 02 की 36 बीघा भूमि स्थित है । उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज है जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा निहित है और कुल आराजी में से 1/3 हिस्से का प्रार्थी मालिक व खातेदार है । उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 243 की 2.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 257 की 0.90 हैक्टर, खसरा नम्बर 259 की 0.85 हैक्टर व खसरा नम्बर 260 की 0.84 हैक्टर कायम हुए हैं । प्रार्थी ने अपने हिस्से की आराजी का कभी भी बेचान नहीं किया है । संवत् 2026 से 2029 में वादी नाबालिंग था इसलिए उसकी वली माता लाडाबाई पत्नी पन्ना बनी तथा जब तक वादी नाबालिग रहा तब तक माता काश्त करती रही उसने किसी को भी यह भूमि नहीं बेची । अप्रार्थी ने न्यायालय सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी कोटा के यहॉ एक प्रार्थना पत्र इस बाबत् दिया कि प्रतिवादी ने यह भूमि दिनांक 24.06.80 को प्रार्थी से क्रय की है उक्त आराजी का पट्टा अप्रार्थी के नाम जारी किया जावे । प्रतिवादी क्रम 1 से 3 ने अपने नाम इंतकाल खुलवा लिया जो प्रार्थी के विरूद्ध बेअसर है । अप्रार्थीगण उक्त इन्द्राज के आधार पर प्रार्थी को काश्त करने में अडचने पैदा कर रहे हैं और उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है । प्रार्थी का प्रथमदृष्टया प्रकरण उसके पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण क्रम 1 से 3 के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह उनके खाते में अंकित आराजीयात जो प्रार्थी को 1/3 हिस्से की हद तक काश्त करने से नहीं रोके और न ही किसी प्रकार का अवरोध पैदा करे और न ही उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द करे और न ही किसी अन्य प्रकार से उक्त भूमि का अन्तरण करे । वर्तमान रिकॉर्ड की यथास्थिति बनायी रखी जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 20.03.2017 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.03.2017 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा निहित है । अपीलान्ट ने उक्त भूमि को कभी भी बेचान नहीं किया है औन न ही अपना हक त्याग किया है । संवत् 2026 से 2029 में वादी नाबालिंग था इसलिए उसकी वली माता लाडाबाई पत्नी पन्ना बनी तथा जब तक वादी नाबालिग रहा तब तक माता काश्त करती रही उसने किसी को भी यह भूमि नहीं बेची । अपीलान्ट अनुसूचित जाति (चमार) है तथा रेस्पोडेन्ट सवर्ण जाति का है । ऐसी स्थिति में यदि बेचान किया जाता है तो वह भी नल एण्ड वॉइड है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.03.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है । वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा निहित है जिस पर अपीलान्ट काबिज काश्त है । इस आराजी को अपीलान्ट ने कभी बेचान नहीं किया है ।

अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुए निर्णय पारित किया है । अपीलान्ट तत्समय नाबालिग था अपीलान्ट अनुसूचित जाति का सदस्य है जबकि रेस्पोडेन्ट सवर्ण हैं ऐसी स्थिति में यदि बेचान किया गया है तो भी वह नल एण्ड वोइड है । इन समस्त तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालय ने नजरअन्दाज किया है । सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी के यहॉ प्रकरण संख्या 690/80 चला था जिसमें बेचान को सही नहीं माना गया और रेस्पोडेन्ट की कार्यवाही खारिज की गई है । राजस्व रिकॉर्ड में कब्जे की प्रविष्टि मात्र से कब्जा धारण किये रहने का अधिकार प्राप्त नहीं रह सकता । जाति लश्करी मेघवंशी अंकित है और मेघवंशी अनुसूचित जाति होती है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.03.2017 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों की पुष्टि में डब्ल्यूएलसी 2016 (2) एससी सिविल पेज 44, आरआरटी 2003 (2) पेज 781 उद्धरत की ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलान्ट लश्करी हैं जो कि अनुसूचित जाति में नहीं आती है । पत्रावली में तहसीलदार की रिपोर्ट संलग्न है जिसमें यह अंकित किया गया है कि अपीलान्ट अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है । राजस्व रिकॉर्ड नकल जमाबन्दी संवत् 2026– 2029 में जाति लश्करी मेघवंशी अंकित है, लश्करी और मेघवंशी दोनों ही अनुसूचित जाति में नहीं आती है । विक्रय पत्र सन् 1981 का है । अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र में अपनी उम्र 60 वर्ष बताई है जो सन् 2017 में पेश किया है । ऐसी स्थिति में विक्रय पत्र के निष्पादन के समय वो नाबालिंग नहीं थे । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । वादग्रस्त आराजी के खातेदार व काबिज रेस्पोडेन्टगण हैं । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.03.2017 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने कथनों की पुष्टि में आरआरडी 1984 पेज 380, आरआरडी 1990 पेज 447, आरआरडी 2016 पेज 135, आरआरडी 1990 पेज 44, एआईआर 1990 (एससी) पेज 991, एआईआर 2010 (एससी) पेज 296, आरआरटी 2015 (1) पेज 633, आरआरटी 2016–17 पेज 17 उद्धरत की ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में तहसीलदार के आदेश दिनांक 03.03. 1987 की फोटो प्रति, मिलान क्षेत्रफल संवत् 2038–2057 एवं जमाबन्दी संवत् 2016 से 2024 की फोटो प्रति एवं विक्रय पत्र दिनाक 23.06.1980 की फोटो प्रति संलग्न है ।

10. अपील के साथ सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गोपाल वल्द शंकर लाल एवं आदेशिका की प्रमाणित प्रति पेश की है ।

11. वादग्रस्त आराजी मुताबिक बयनामा जो कि उप पंजीयक के कार्यालय में दिनांक 23.06.1980 को पंजीबद्ध हुआ है रेस्पोडेन्टगण के द्वारा क्रय की गई है और अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर तहसीलदार लाडपुरा का आदेश संलग्न है जिसके अनुसार इस विक्रय के आधार पर खोले गये नामान्तरकरण संख्या 229 एवं 230 को विधि सम्मत माना गया है । विक्रेतागण की जाति फोटो प्रति नकल जमाबन्दी में लश्करी मेघवंशी अंकित है जो अनुसूचित जाति में नहीं आती है । इस प्रकार इस विक्रय से धारा 42 बी का उल्लंघन नहीं हुआ है । विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के द्वारा पेश की गई नजीर एआईआर (एससी) 1990 पेज 991, आरआरडी 1990 पेज 44, आरआरडी 2016 पेज 135, आरआरडी 1990 पेज 447, आरआरडी 1984 पेज 380 यहॉ चस्पा होती है ।

12. अपीलान्ट द्वारा अपील में यह भी कथन किया गया है कि वो, वक्त पंजीयन नाबालिग था परन्तु उन्होंने स्वयं के प्रार्थना पत्र में अपनी आयु सन् 2017 में 60 वर्ष बताई है और रजिस्ट्री 1980 की है । तदनुसार वक्त पंजीयन वह नाबालिग सिद्ध नहीं होता है ।

13. विद्धान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ भू–प्रबन्ध विभाग के आदेश दिनांक 28.03.1981 की प्रति पेश की है परन्तु जैसा कि ऊपर विवेचन किया जा चुका है कि विक्रेता की जाति लश्करी मेघवंशी है जो अनुसूचित जाति की श्रेणी में नहीं आती है इस कारण भू–प्रबन्ध विभाग के इस आदेश के आधार पर अपीलान्ट को किसी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं की जा सकती । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट ने स्वयं 1980 में विक्रय पत्र निष्पादित किया है । ऐसी स्थिति में यदि तर्क के लिए उनकी बात सही भी मान ली जावे तो भी वादग्रस्त आराजी के विक्रय के बाद उनका कोई अधिकार शेष नहीं रह जाता है । यदि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 बी का उल्लंघन हुआ भी है तो अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त होंगे न कि विक्रेता को पुनः आराजी प्राप्त होगी । रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक हैं ।

14. इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.03.2017 बहाल रखा जाता है ।

16. निर्णय आज दिनांक 30.11.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30.11.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा